मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत व्याख्याता अस्थि बाधितार्थ, व्याख्याता श्रवण बाधितार्थ तथा व्याख्याता दृष्टि बाधितार्थ के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 02/2017 दिनांक 02.03.2017 सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **15.04.2017**	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि **11.05.2017**

महत्वपूर्ण

1- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग हेतु **व्याख्याता अस्थि बाधितार्थ, व्याख्याता श्रवण बाधितार्थ तथा व्याख्याता दृष्टि बाधितार्थ** के क्रमश: 4, 9 तथा 11 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-

1. व्याख्याता अस्थि बाधितार्थ (Lecturer for Orthopedically Disabled)

(1) कला/ विज्ञान/ वाणिज्य में स्नातकोत्तर।

(2) सेरेब्रलपाल्सी में डिप्लोमा एवं मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव।

(3) हिन्दी तथा अँग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान।

(4) कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान

1. व्याख्याता श्रवण बाधितार्थ (Lecturer for Hearing Disabled)

(1) कला/ विज्ञान/ वाणिज्य में स्नातकोत्तर।

(2) संबन्धित नि:शक्तता में बी.एड. एवं स्पीच थेरेपी में अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव।

(3) हिन्दी तथा अँग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान।

(4) कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान

1. व्याख्याता दृष्टि बाधितार्थ (Lecturer for Visually Disabled)

(1) कला/ विज्ञान/ वाणिज्य में स्नातकोत्तर।

(2) संबन्धित नि:शक्तता में बी.एड. एवं ब्रेल लिपि में पढ़ाने का दो वर्ष का अनुभव।

(3) हिन्दी तथा अँग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान।

(4) कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान

2- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे. आवेदन पत्र दिनांक **16.03.2017** (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक **15.04.2017** (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकते है ।

3- आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र मे उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें की शुल्क भुगतान हो गया है। उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक (आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध) की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करें । जिन आवेदकों के अभिप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन पत्र दिनांक **11.05.2017** को सायंकाल 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय को प्राप्त नहीं होंगे उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी एवं इस सन्दर्भ मे कोई पत्र व्यवहार नही किया जाएगा । डाक आदि के विलंब हेतु आयोग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा ऐसे सभी विलम्ब से प्राप्त आवेदन के लिफाफे स्वीकार नहीं किये जायेगें। आवेदन पत्र भरने तथा प्रेषित करने के संदर्भ मे विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन पत्र तथा अभिलेख आयोग को प्रेषित करें।

4- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदनपत्रों में दिनांक **22.03.2017** से दिनांक **17.04.2017** तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. **50/-** त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम॰ पी॰ ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते है । त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।

5- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए **E-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर **E-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर तथा आधार नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करे ।

6- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग , मध्य प्रदेश शासन**, के निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

क्र.	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों मे से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल पद	वेतनमान
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC		
राजपत्रित द्वितीय श्रेणी											
1	**व्याख्याता अस्थि बाधितार्थ** <u>Lecturer for Orthopedically Disabled</u>	2	1	1	0	1	0	0	0	4	9300-34800+ + 3600 ग्रेड पे
2	**व्याख्याता श्रवण बाधितार्थ** <u>Lecturer for Hearing Disabled</u>	5	1	2	1	2	0	1	0	9	9300-34800+ + 3600 ग्रेड पे
2	**व्याख्याता दृष्टि बाधितार्थ** <u>Lecturer for Visually Disabled</u>	6	2	2	1	2	1	1	0	11	9300-34800+ + 3600 ग्रेड पे

Abbriviations:

UR- अनारक्षित, SC-अनुसूचित जाति, ST-अनुसूचित जनजाति, OBC-अन्य पिछड़ा वर्ग

टीप:

(1) उक्त पदों मे नि:शक्तजनों हेतु आरक्षण नहीं है किन्तु सभी श्रेणी के नि:शक्तजन उक्त पदों हेतु आवेदन कर सकेंगें तथा मैरिट के आधार पर चयनित हो सकेंगें।

(2) मध्य प्रदेश के मूल निवासी सभी श्रेणी के नि:शक्तजन को आवेदन शुल्क में छूट देय होगी।

(3) मध्य प्रदेश के मूल निवासी दृष्टिबाधित नि:शक्तजन को परीक्षा/साक्षात्कार हेतु यात्रा व्यय भी देय होगा।

प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक ऑनलाइन आवेदन भरें

दो पद का विवरण

	पद का नाम	:	**व्याख्याता अस्थि बाधितार्थ, व्याख्याता श्रवण बाधितार्थ तथा व्याख्याता दृष्टि बाधितार्थ**
	विभाग का नाम	:	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 9300-34800+3600 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगें।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	शिक्षण/ प्रशिक्षण संबंधी कार्य

तीन शैक्षणिक अर्हता :

<u>1. व्याख्याता अस्थि बाधितार्थ (Lecturer for Orthopedically Disabled)</u>

(1) कला/ विज्ञान/ वाणिज्य में स्नातकोत्तर।

(2) सेरेब्रलपाल्सी में डिप्लोमा एवं मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव।

(3) हिन्दी तथा अँग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान।

(4) कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान

1. व्याख्याता श्रवण बाधितार्थ (Lecturer for Hearing Disabled)

(1) कला/ विज्ञान/ वाणिज्य में स्नातकोत्तर।

(2) संबन्धित नि:शक्तता में बी.एड. एवं स्पीच थेरेपी में अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव।

(3) हिन्दी तथा अँग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान।

(4) कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान

1. व्याख्याता दृष्टि बाधितार्थ (Lecturer for Visually Disabled)

(1) कला/ विज्ञान/ वाणिज्य में स्नातकोत्तर।

(2) संबन्धित नि:शक्तता में बी.एड. एवं ब्रेल लिपि में पढ़ाने का दो वर्ष का अनुभव।

(3) हिन्दी तथा अँग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान।

(4) कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान

टीप- (1) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **15.04.2017** तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(2) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि परीक्षा के परिणाम/ साक्षात्कार के पूर्व तक की जा सकेगी । बढ़े हुये पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(3) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(4) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगें।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है, आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमी लेयर में नहीं आते।

(6) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

(7) जिन पदों में किसी आरक्षित श्रेणी हेतु पद आरक्षित नही है उन पदों में उस आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु विचारित किया जाएगा तथा उन्हें संबन्धित श्रेणी को देय आयु सीमा की छूट/ अंकों में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

(8) मध्य प्रदेश के के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो आवेदक का चयन होने पर उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक शासन स्तर पर लंबित रखने की अनुशंसा आयोग द्वारा शासन से की जाएगी।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा अगला प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार